

प्रेषक,
रविन्द्र,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवामें,

1. प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० मेडिकल सप्लाइज कार्पोरेशन लि०।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 26 अप्रैल, 2021

विषय:-रेमडेसिविर इंजेक्शन के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-769/पांच-5-2021 दिनांक 25.04.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से रेमडेसिविर इंजेक्शन के आवंटन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2- तत्कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 25.04.2021 द्वारा आवंटित रेमडेसिविर इंजेक्शन जिन रोगियों को दिया जाएगा, उन रोगियों का रिकार्ड भी रखा जाएगा। उक्त रिकार्ड के आधार पर रेमडेसिविर इंजेक्शन के वितरण की आडिटिंग भी की जाएगी।

भवदीय,

(रविन्द्र)

सचिव।

26/4/2021

संख्या-773(1)/पांच-5-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
6. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।
7. महानिदेशक, परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
8. निदेशक, संचारी रोग, उ०प्र०, लखनऊ।
9. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(असीम कुमार सिंह)

उप सचिव।

१